आंचलिक विज्ञान नगरी

(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की एक इकाई)

अलीगंज विस्तार, सेक्टर- ई(एकता विहार), लखनऊ-226024

निविदा संख्या - 04 / 2022-23

आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ में लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, रद्दी कागज़, जला हुआ मोबिल ऑइल एवं अन्य विविध कबाड़ इत्यादि अप्रयोज्य / रद्दी सामग्री "जहां है, जैसे है" की पद्धति के आधार पर निस्तारण हेतु नीलामीकर्ता / व्यक्तिगत एजेन्सियों से मुहरबंद निविदायें निम्न नियम एवं शर्तों के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं:-

नीलामी के लिए नियम और शर्तें

1. निविदा जमा कराने से पूर्व, निविदाकर्ता 30-11-2022 तक किसी भी कार्यदिवस में अपराहन 2:00 से 3:00 बजे के बीच केंद्र के परिसर में मद का मुआइना और केंद्र के प्राधिकारी से स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) प्राप्त कर सकते हैं।
2. सशर्त प्रस्तुत प्रस्ताव / मुहरबंद बोलियाँ स्वीकार नही की जायेंगी।
3. अप्रयोज्य/निस्तारणीय रद्दी वस्तुओं की मुहरबंद बोली 'जैसे है, जहाँ है' **(As is where is' basis)** की पद्धति पर मंगाई जाती है।
4. **प्रस्ताव/बोली को निविदा के नियमों और शर्तों की प्रति के साथ विधिवत भरकर, निविदाकर्ता के हस्ताक्षर करके ही जमा करें अन्यथा निविदा को खारिज कर दिया जाएगा।** निविदा फॉर्म में किसी प्रकार की अस्पष्टता (ओवर राइटिंग) की अनुमति नहीं है और ऐसी निविदा को खारिज कर दिया जाएगा। प्रस्तावित राशि को स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों, दोनों में अंकित करना अपेक्षित है।
5. विधिवत भरी हुई एवं मोहरबंद लिफाफे में सील निविदा प्रपत्र **दिनाँक 01-12-2022** को **अपराहन 03.30 बजे तक** आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ में जमा करना होगा और उसी दिन **अपराहन 04.00 बजे** निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में, जो भी उपस्थित रहना चाहें, मुहरबंद निविदाएँ खोली जाएगी। तय तारीख और समय के पश्चात प्राप्त निविदाए स्वीकार नहीं की जाएंगी तथा उन्हे सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।
6. बयाने की राशि **₹10,000/-** (दस हज़ार रूपये मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश `**आंचलिक विज्ञान नगरी**` के नाम आहरित **लखनऊ** में देय, के रूप में जमा किया जाना है जोकि निविदा के साथ लगाना होगा, ऐसा न करने पर, निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अस्वीकृत निविदाओं की बयाने की जमा राशि को निविदा खुलने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर निविदाकर्ता द्वारा लिखित अनुरोध पर वापस किया जा सकता है। केंद्र में जमा बयाने राशि के भुगतान पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।
7. किसी या सभी निविदाओं को जो भी कारण हो बिना बताए पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार केंद्र के पास आरक्षित है।
8. उच्चतम बोली की स्वीकृति पर, निविदाकर्ता को 24 घंटों में पूरी राशि को जमा करना होगा और इस केंद्र द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की तारीख से 3 कार्यदिवसों में अपनी लागत और जोखिम पर विक्रित सामग्री मदों को केंद्र से उठाना होगा, अन्यथा विक्रित सामग्री की सुरक्षा के लिए केंद्र जिम्मेदार नही होगा।
9. संग्रहालय/केन्द्र किसी भी उच्चतम मुहरबंद बोली को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है और उसे अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का कोई कारण बताये बिना, किसी मुहरबंद बोली में दी गई प्रतिष्टियों या अनुसूचियों को पूर्ण या अपूर्ण रूप में स्वीकार या निरस्त कर दें।
10. मुहरबंद बोली से संबंधित अनुयाचन **(canvassing)** की सख्त मनाही है और जो निविदाकर्ता/क्रेता अनुयाचन करेंगें उनके द्वारा भेजी गई मुहरबंद बोली इस कारण से ही निरस्त की जा सकती है।

11. यदि चयनित निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र के निर्देश के अनुपालन के लिए मना करते है और 24 घंटों में पूरी राशि को जमा करने और ऑर्डर के प्लेसमेंट की तारीख से 3 दिनों के अंदर मद को ले जाने में असफल होते है, तो बिना किसी संदर्भ के तुरंत निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा और बयाने की राशि को जब्त कर लिया जाएगा और किसी भी कीमत पर इस संबंध में कोई भी पत्राचार/अनुरोध आदि का जवाब नही दिया जाएगा।
12. निविदा के संबंध में किसी भी तरह की सिफ़ारिश पूरी तरह निषिद्ध है। जो निविदाएँ, एजेंसियों के द्वारा जमा हुई है, यदि वे किसी तरह की सिफ़ारिश का सहारा लेगी तो सिर्फ इसी आधार पर वह एजेंसी निविदा अस्वीकृति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी।
13. चयनित निविदाकर्ता और केंद्र के बीच किसी भी प्रकार के विवाद और भेदभाव के लिए महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के द्वारा नामांकित एकमात्र मध्यस्थ अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम और दोनों चयनित निविदाकर्ता और केंद्र के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान या किसी अन्य संवैधानिक संशोधन या इसके पुनः अधिनियमित होने पर और इसके तहत बनाए गए नियमों को इस नीलामी के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगें।
14. निविदा / बोली में भाग लेने वाली एजेंसी विशेष अनुरोध पर निविदा के परिणाम के बारे में जानकारी और अन्य संबंधित विवरण, यदि वैधानिक हो, तो प्राप्त कर सकते है।
15. मुहरबंद बोली समर्पित करने के पहले बोलीकर्ता, मुहरबंद बोली के सभी अप्रयोज्य/निस्तारणीय रद्दी वस्तुओं और शर्तों की भलीभांति जांच करने के उपरांत ही अपनी मुहरबंद बोली प्रस्तुत करेगा तथा यदि जरूरी हो तो कार्यालय में अप्रयोज्य/निस्तारणीय रद्दी वस्तुओं का निरीक्षण भी कर लेगा।
16. **अप्रयोज्य वस्तुओं का निस्तारण प्रत्येक लाट की उच्चतम बोली के आधार पर किया जायेगा। अतः एजेंसिया अपनी विशिष्टता के अनुसार समस्त या किसी भी लॉट की बोली लगा सकती हैं।**
17. क्रेता को चाहिए कि मुहरबंद बोली डालने से पहले लाटों की स्थिति, गुणवत्ता, मात्रा आदि की जानकारी सुनिश्चित कर लें। लाट की अंतिम अधिकतम बोली लगने एवं स्वीकार होने के उपरांत गुण, श्रेणी, मात्रा आदि के विषय में क्रेता की कोई शिकायत नही सुनी जायेगी।
18. क्रेता को विक्रित लाट की ढुलाई, उतरवाई एवं परिवहन आदि की व्यवस्था स्वयं अपने हर्जे-खर्चे पर करनी होगी। निविदा के उपरान्त उपरोक्त हेतु इस प्रकार की किसी भी असुविधा के लिए केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
19. क्रेता को बोली की रकम के अतिरिक्त वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित वाणिज्य कर अथवा जीएसटी (जो भी उ0प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत लागू हो) का भुगतान, **विभाग मे बोली की रकम के ऊपर/अतिरिक्त जमा करना होगा** जिसका भुगतान वाणिज्य कर विभाग में केन्द्र द्वारा जमा कराया जायेगा एवं क्रेता को चालान की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी। अतः क्रेता उपरोक्त वाणिज्य कर/ जीएसटी का आकलन करके ही अपनी बोली प्रस्तुत करें।
20. क्रेता मुहरबंद बोली प्रस्तुत करते समय अभिवहन, कर, चुंगी, गाड़ी भाड़ा आदि के खर्चे का आकलन करके तथा बाजार की दरों से उतार-चढाव को ध्यान में रखते हुए अपने मूल्य प्रस्तुत करें।
21. अंतिम लाट के अभिवहन से पूर्व क्रेता को स्थल की पूर्ण रूप से सफाई आदि सुनिश्चित करनी होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(मोहर के साथ)

स्थान : _____

दिनाँक : _____

पेशकश प्रारूप

सेवा में,

परियोजन समायोजक
आंचलिक विज्ञान नगरी
(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की एक इकाई)
अलीगंज विस्तार, सेक्टर- ई(एकता विहार)
लखनऊ-226024

महोदय,

मैंने/ हमने आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ में "अनुपयोगी वस्तुओ/अपशिष्ट सामग्री "लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, रद्दी कागज, जला हुआ मोबिल ऑयल एवं अन्य विविध कबाड़ इत्यादि., जिस भी स्थिति में विक्रेता बेच रहा है, खरीदार मद को उसी स्थिति में स्वीकार कर रहा है, के आधार पर (जहाँ है, जैसे है- As is, where is) नीलामी के लिए निविदा संख्या - 04 / 2022 - 23 को भली-भांति पढ़कर, समझकर और इसके सभी नियमों और शर्तों के साथ स्वीकार किया है।

मैंने बयाने की राशि ₹10,000/- (दस हज़ार रूपये मात्र), राष्ट्रीयकृत बैंक..... द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/ अदायगी आदेश संख्या ..... दिनांक ..... को आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ के नाम आहरित मुहरबंद बोली के साथ जमा किया है|

उपर्युक्त उल्लिखित निविदा के लिए मेरी / हमारी एतदद्वारा दरों की पेशकश नीचे दिए गए अनुसार है:-

लॉट	विवरण	पेशकश राशि
लॉट 1	लोहे की पुरानी खिड़कियाँ, सीढ़ियों के ग्रिल, रियर गेट का हिस्सा, रद्दी लोहे के टुकडे (कटपीस) कार्यालय वाहनों तथा जनरेटर की मरम्मत से निकला हुआ पुराना सामान अनुपयोगी औजार (**unserviceable tools**) रद्दी टिन के डिब्बे अनुपयोगी विविध एम.एस.पाइप अनुपयोगी एल्यूमिनियम एंगल रद्दी प्लाई के टुकड़े (कटपीस) जैव प्रौद्योगिकी दीर्घा से निकाली गई पुरानी लकड़ी, प्लाई तथा बोर्ड रद्दी प्लास्टिक के डिब्बे बाल दीर्घा से निकाली गई पुरानी पीवीसी फ्लोरिंग पुराने रद्दी अखबार तथा कागज चोक, आइसोलेटर, चैंज ओवर स्विच आदि पुराना बिजली का सामान तथा पुरानी ट्यूब लाईट एवं बल्ब आादि (केन्द्र के विभिन्न स्थानों पर एकत्र)	
लॉट 2	पुराना जला हुआ मोबील ऑयल (नियर डीजी सेट)	
	जीएसटी 18 प्रतिशत लॉट 1 तथा 2 पर	
लॉट 3	पुराने गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी (05 स्थानों पर एकत्र)	
	जीएसटी 5 प्रतिशत लॉट 3 पर	
	कुल योग	
(कुल रूपये _____ मात्र)		

स्थान : _____
दिनाँक : _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(मोहर के साथ)

नाम : _____
पता : _____
_____
फोन नंबर : _____
ईमेल : _____